इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 160 / प्र0अ0(त0स0) / जोन–2 / 2014–15 दिनांक 10 / 04 / 2015

A

विनियमितीकरण / अनुमति–पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमितीकरण एवं धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन / प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मलिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मालिकाना या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती रीना केसरवानी पत्नी श्री अजय कुमार केसरवानी द्वारा मकान नं0–259 / 6 पुराना, 376 नया मुट्ठीगंज, तहसील–सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण / प्रस्तावित मानचित्र के पक्ष में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.6 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 2X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
5. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख–रेख में स्वतः ध्वस्त कराना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 26.03.2015 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय / अधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. मकान निर्माण से यदि नालों के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके बगल के कारण बन गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहस्वामी उसे बिलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था पुर्नस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूरा हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

09/04/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
OSD/प्रभारी अधिकारी (जोन–2)

प्राप्त
शिवानी केसरी
15-04-015

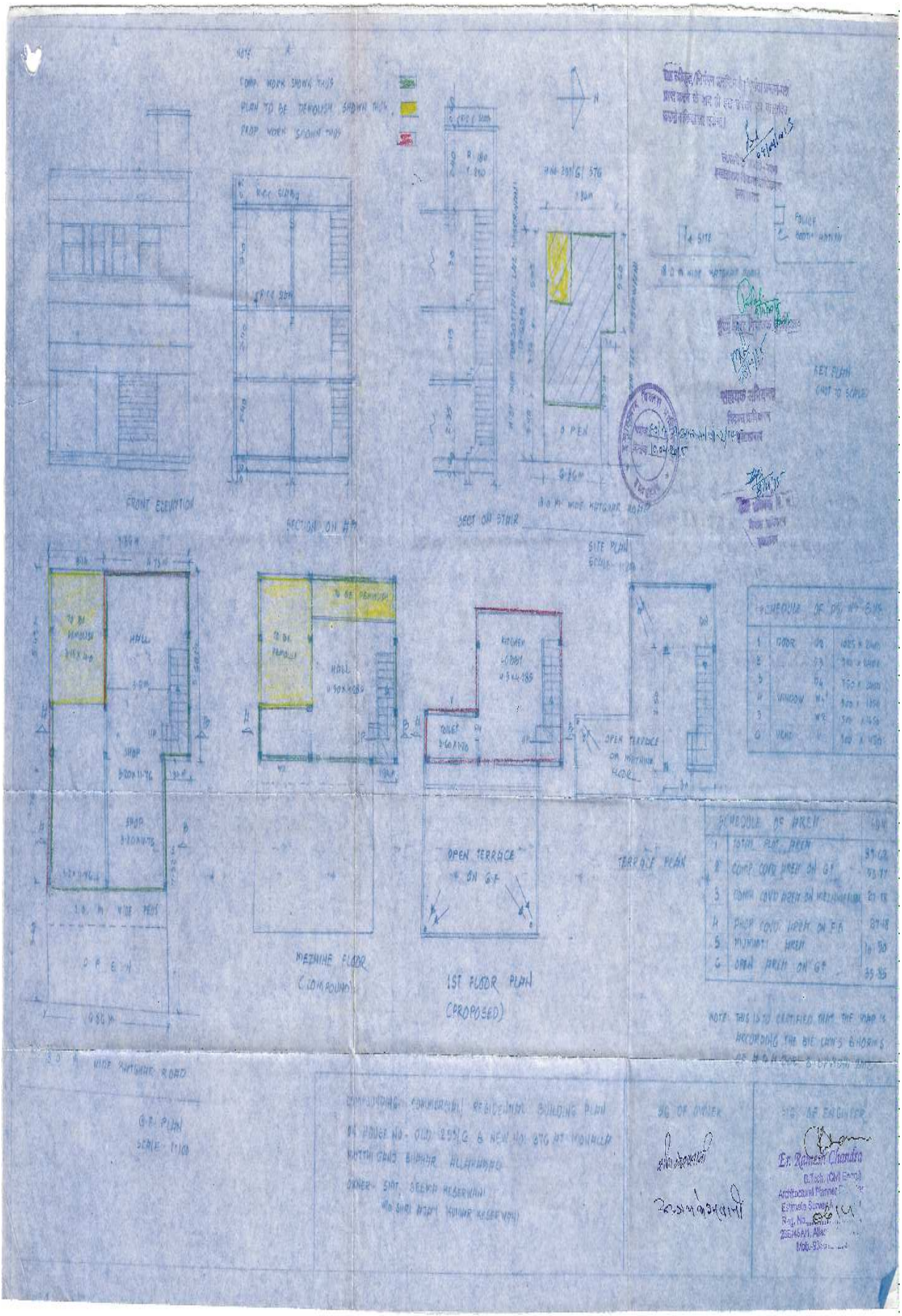
NOTE
COMP. WORK SHOWN THUS
PLAN TO BE DEMOLISH SHOWN THUS
PROP WORK SHOWN THUS
FRONT ELEVATION
SECTION ON XY
SECT ON STAIR
SITE PLAN
SCALE 1:100
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
SCHEDULE OF AREA
TERRACE PLAN
OPEN TERRACE
ON G.F.
GROUND FLOOR
(COMPOUND)
1ST FLOOR PLAN
(PROPOSED)
G.F. PLAN
SCALE 1:100
OWNER SMT. SEEMA AGGARWAL
W/O SHRI ARPIT KUMAR AGGARWAL
SIGN OF OWNER
SIGN OF ENGINEER
Er. Rakesh Chandra
B.Tech. (Civil Engg.)
Architectural Planner
Estimate Surveyor